

प्रेस नोट थाना खोराबार जनपद गोरखपुर दिनांक 04.12.2025

अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन बैनामा कराने के आरोप में 01 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा “अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी” हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के पर्यवेक्षण, क्षेत्राधिकारी कैण्ट गोरखपुर के कुशल निर्देशन, थानाध्यक्ष थाना खोराबार के कुशल नेतृत्व में उनि. रवि शंकर तिवारी मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 369/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस से सम्बन्धित अभियुक्त राजेंद्र निषाद पुत्र रामवृक्ष निषाद निवासी रामपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी द्वारा तहरीर दिया गया कि अभियुक्तों द्वारा अवैध व कूटरचित दस्तावेजों के माध्यम से धोखाधड़ी कर जमीन का जमीन बैनामा करा लिया गया। जिसके संबंध में मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम न पता-

राजेंद्र निषाद पुत्र रामवृक्ष निषाद निवासी रामपुर थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 369/2025 धारा 319(2),318(4),338,336(3),340(2),61(2) बीएनएस थाना खोराबार जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. उ0नि0 रविशंकर तिवारी थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
2. का0 ऋतू बसन्त सिंह थाना खोराबार जनपद गोरखपुर
3. का. पिन्टू चौहान थाना खोराबार जनपद गोरखपुर